प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

दिनांक- 29.07.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।

➢ ‘बालिका सुरक्षा जागरुकता अभियान’ बालिकाओं को किया गया जागरुक–

जनपद कुशीनगर में बालिकाओं / छात्राओं / महिलाओं को जागरुक करने के उद्देश्य से चलाये जा रहे ‘बालिका सुरक्षा जागरुकता अभियान’ के क्रम में आज दिनांक 29.07.2019 पुलिस अधीक्षक कुशीनगर राजीव नारायण मिश्र के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 05 विद्यालयों पर 1800 से अधिक छात्राओं को जागरुक करते हुए महिला सुरक्षा व हेल्पलाइन नम्बर जैसे- डायल 100, महिला हेल्प लाइन 181 तथा 1090 के संबन्ध में विस्तृत रुप से जानकारी दी गयी।

उल्लेखनीय है कि उक्त ‘बालिका सुरक्षा जागरुकता अभियान’ जनपद कुशीनगर के क्रमश: 1-रुमाली देवी इंटहर कालेज कुशीनगर, 2-लाची देवी इंटर कालेज कुशीनगर, 3-शीतल देवी उच्चतर मा0 विद्यालय कुशीनगर, 4-गाँधी इंटर कालेज खड्डा कुशीनगर. 5-नरायण चौराहा जू0 हा0 रामकोला कुशीनगर आदि विद्यालयों में संचालित किया गया।

इसके अतिरिक्त जागरुकता संम्बन्धी प्रचार सामग्री जिसमें 1090 के पोस्टर, यूपी 100 के पोस्टर तथा 1090 के येलो कार्ड आदि शामिल है वितरित किये गये।

➢ अवैध शराब विक्रय / परिवहन / निष्कर्षण के विरुध्द की गयी कार्यवाही-

थाना तरयासुजान –

थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्त 1-मन्नु कुमार पुत्र विद्यासिंह साकिन नया टोला हरपुर हजिया थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज बिहार, 2- मनीष पुत्र अमरजीत साकिन हरपुर बाजार थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10-10 ली0 कच्ची अवैध शराब बरामद कर क्रमश: मु0अ0सं0 379/19 / 380/19 धारा 60 आबकारी के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना सेवरही–

थाना सेवरही पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्त 1-उमेश पुत्र लहरी साकिन भुड़ा मड़ार थाना ने0 नौ0 जनपद कुशीनगर, 2- अकलु पुत्र रामधारी साकिन लक्ष्मीपुर थाना ने0 नौ0 जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20-20 ली0 कच्ची अवैध शराब बरामद कर क्रमश: मु0अ0सं0 206/19 / 207/19 धारा 60 आबकारी के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना पटहेरवा–

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त 1-गुड्डु यादव पुत्र हरेन्द्र यादव साकिन नदवा थाना भोरे जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 शीशी बबली बन्टी अवैध शराब बरामद कर मु0अ0सं0 166/19 धारा 60 आबकारी के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(कुल-01)

थाना नेबुआ नौरंगिया-

थाना ने0 नौ0 पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त मेराज पुत्र मुन्सरीम साकिन बलकुडिया थाना ने0 नौ0 जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 197/19 धारा 363,366 भादवि के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ वारंटीयों की गिरफ्तारी-(कुल-08)

थाना अहिरौली बाजार-

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा 08 नफर वारंटीयों 1-नन्दप्रकाश मल्ल पुत्र विक्रमा मल्ल सा०बेलवा बुजुर्ग थाना अहिरौली बाजार जिला कुशीनगर, मु०नं०180/19 धारा 5/9 B Ex Act में वारन्टी 2- नान्हू पुत्र सन्तू सिंह सा० महुअवा खुर्द थाना अहिरौली बाजार जिला कुशीनगर, मु०नं०1898/18 धारा 323,504 IPC के वारन्टी 3- इन्द्रजीत पुत्र रामनयन 4- रामनगीना पुत्र चन्दर निवासीगण विजयी काफ थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर, मु०नं०951/19 धारा 323,504,506 IPC में वारन्टी 5- जशपाल पुत्र भागवत कुर्मी 6- भागवत पुत्र लालबचन निवासीगण-पटनी थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर, मु०नं० 1904/18 धारा 323,504,506 IPC में वारंटी 7- विनोद पुत्र अनरुद्ध सा० होलिया थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर व मु०नं० 685/19 धारा 323,504,506 IPC के वारंटी 8-परमल पुत्र मगरु सा० हरपुर सुक्खड़ थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 18 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

➢ कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही कुल-32 वाहन से शमन शुल्क- रु0-9700 ।
2. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल-01)।
3. वारंटीयों की गिरफ्तारी-(कुल-08)
4. **आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-05, अभि0-05, बरामदगी-60** ली0 अवैध कच्ची शराब व 15 शीशी देशी शराब।

मीडिया सेल
कुशीनगर।